समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
****

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 17.01.2017 को मद्य निषेध कार्यक्रम के तहत् मानव श्रृंखला निर्माण की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

मद्य निषेध अभियान के द्वितीय चरण के तहत दिनांक 21.01.2017 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है । विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :—

1. यातायात प्रबंधन कोषांग (Traffic Management Cell) के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2017 को मानव श्रृंखला निर्माण हेतु निर्धारित सभी मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्गों पर आकस्मिकता को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन अवरूद्ध रहेगा । इस हेतु मार्ग का उल्लेख करते हुए विधिवत आदेश पत्र जारी करा दिया जाए । साथ ही इस आशय का विज्ञापन भी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया जाए ।

2. कार्मिक कल्याण कोषांग (Personnel Welfare Cell) के पदाधिकारियों एवं सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निमार्ण हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग के साथ सम्बद्ध सेक्टर, सब सेक्टर, जोनल के पदाधिकारियों/कर्मियों को यह निदेश दिया जाए कि वे अपने साथ दो–तीन पानी का बोतल निश्चित रूप से रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए । इस आशय की सूचना पत्र के माध्यम से सभी संबधितों को उपलब्ध करा दी जाए ।

2.1 कार्मिक कल्याण कोषांग (Personnel Welfare Cell) के पदाधिकारियों एवं सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से समन्वय स्थापित करते हुए मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित सभी मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग पर शुद्ध पेयजल का टैंकर उपलब्ध करायेंगे । शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त सभी निर्धारित मार्गों पर पानी का टैंकर उपलब्ध करायेंगे । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से निदेश दिया जाए कि स्थानीय स्तर के सभी पेयजल आपूर्तिकर्ता को उक्त तिथि को पानी की आपूर्ति में आवश्यक सहयोग देंगे ।

3. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 21.01.2017 को मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित सभी मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग पर प्रत्येक एक किलोमीटर पर एक–एक अस्थायी शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे । इस हेतु वे अपने स्तर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उचित

कार्रवाई करेंगे । अपर समाहर्ता इस आशय का आदेश पत्र जारी करा दिया जाए । साथ ही मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग के किनारे अवस्थित सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के शौचालों को चालु हालत में रखने हेतु आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए ।

4. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित Communication Plan तैयार कर रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सके । Communication Plan में सभी प्रखण्डस्तरीय/पंचायतस्तरीय पदाधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों का मोबाइल नंबर रहेगा । अपर समाहर्ता इसको सुनिश्चित करायेंगे तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियें को आवश्यक निदेश उपलब्ध करायेंगे ।

5. अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग एवं पूरक मार्ग के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों के बीच मार्ग को बांट दिया जाए ।

6. अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु निर्धारित सभी मुख्य मार्ग के अलावा सभी पूरक मार्ग के प्रत्येक 2 किलोमीटर पर एक लाउडस्पीकर की व्यवस्था प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करायें । उक्त लाउडस्पीकर में मद्य निषेध से संबंधित गीतों का गायन होगा ।

7. सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दूर-दराज तथा निर्जन क्षेत्रों में मानव संसाधन को लाने हेतु वाहन की सम्बद्धता प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से करा दिया जाए ।

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाए कि सभी बच्चों को मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मार्ग पर ले जायेंगे एवं उन्हें पुनः सुरक्षित लाने की व्यवस्था करेंगें ।

9. दिनांक 21.01.2017 को मानव श्रृंखला निर्माण हेतु संबंधित आशा कार्यकर्ताओं, ममता एवं ए0एन0एम0 को मानव संसाधन को लाने की जवाबदेही दी गई है । सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि उनके द्वारा पंचायतों से मानव संसाधन को कैसे लाया जाएगा इस हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

10. मानव संसाधन कोषांग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जीविका के द्वारा मानव संसाधन को निर्धारित मार्ग पर कैसे लाया जा रहा है इसके बारे में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

11. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी विभागीय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि ऐसे सभी कर्मियों, जिन्हें सेक्टर, सब सेक्टर अथवा सहयोगी कर्मियों के रूप में प्रतिनियुक्ति नहीं किया गया है, उन्हें प्रखण्ड में रिपोर्ट कराया जाये एवं निर्धारित मार्ग के ऐसे निर्जन स्थलों पर मानव श्रृंखला निर्माण में भाग लेने हेतु उन्हें निदेशित किया जाये, जहां पर अन्य स्त्रोत से श्रृंखला में भाग लेने के लिए मानव संसाधन की कमी हो। इस आशय का आदेश पत्र भी जारी करा दिया जाए ।

12. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों के बच्चों को मानव श्रृंखला में भाग लेने हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी जाए । कोई भी विद्यालय अथवा महाविद्यालय छूटे नहीं इसे सुनिश्चित करायें ।

13. अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्य को मानव श्रृंखला में भागीदारी हेतु पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दिया जाए । साथ ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति एवं निबंधक को भी अनुरोध पत्र उपलब्ध करा दी जाए ।

14. दस्तावेजीकरण कोषांग/प्रतिवेदन कोषांग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के प्रतिवेदनों को सयमय प्रखण्डों से प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

15. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्र के सभी लोगों की मानव श्रृंखला में भागीदारी हेतु अपील जारी करा दिया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराया जाए । यह भी निदेश दिया गया कि स्वच्छता के वाहन पर मद्य निषेध से संबंधित सी0डी0 का गायन सुनिश्चित कराया जाए ।

16. दिनांक 18.01.2017 को मुजफ्फरपुर जिला में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन किया जाना है । जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतियोगिता में सभी विद्यालयों के खिलाड़ियों एवं बच्चों को शामिल कराया जाए । इस हेतु सभी विद्यालय प्रधान को सूचना उपलब्ध करा दी जाए ।

17. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ प्रतिदिन बैठक सुनिश्चित करायें । इस आशय की सूचना सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करा दी जाए ।

18. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 20.01.2017 को सभी स्तरों पर मशाल जुलूस का आयोजन करायें । इस हेतु सभी विद्यालयों को सूचना उपलब करा दी जाए । उक्त मशाल जुलूस में विद्यालय के शिक्षक एवं बच्चों के अभिभावक भाग लेंगे । इसे बड़े पैमाने पर आयोजन हेतु आज से ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए ।

19. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में चेतना सभा, प्रभातफेरी का नियमित रूप से आयोजन कराना सुनिश्चित करें ।

20. जिलास्तर/प्रखण्ड एवं पंचायतस्तर पर दिनांक 20.01.2017 को मशाल जुलूस का आयोजन हेतु उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता तैयारी करा दें । सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इस आशय का पत्र भी जारी करा दिया जाए ।

21. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों से बात करके सभी स्थानों पर कलाजत्था का कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करें । इसमें साक्षरता के प्रेरक एवं कर्मियों को लगाया जाए ।

22. उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि प्रखण्डो के निर्धारित मार्ग पर सामुहिक जागरूकता कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना तैयार कर लिया जाए । उक्त कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी स्वंय भाग लेंगे एवं लोगों को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करायेंगें । प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पूर्व में निदेश उपलब्ध करा दिया जाए कि वे निर्धारित मार्ग के चिन्हित स्थलों पर अधिक से अधिक लोगों को उपस्थित कर रखेंगे ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह०/-

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 327 /गो., दिनांक 18/01/17

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, अपदा प्रबंधन/विभागीय जांच/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला अवर निबंधक/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि — मानव श्रृंखला हेतु गठित सभी कोषांगों के वरीय/सभी पदाधिकारियों, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।